भारतीय टन भार प्रमाण पत्र (सीवी अधिनियम) (ऑफ़लाइन)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | रजिस्ट्री के अनंतिम/स्थायी प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति। |
| **2.** | मौजूदा जहाजों के मामले में मौजूदा टन भार प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति। |
| **3.** | यात्री जहाजों के मामले में डीजीएस द्वारा या नए बने मालवाहक जहाज के मामले में आरओ द्वारा विधिवत सत्यापित अंतिम टन भार गणना की स्कैन की गई प्रति। |
| **4.** | मौजूदा मालवाहक जहाजों के लिए ध्वज या आरओ से पिछले स्वीकृत टन भार की मात्रा की स्कैन की गई प्रति । |
| **5.** | उस श्रेणी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति जिसके साथ जहाज को वर्गीकृत किया गया है। |
| **6.** | 1000 रुपये की भुगतान रसीद की स्कैन की गई प्रति जिसका भुगतान केवल भारतकोश के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। |